न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – मनोज कुमार मीना, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 204 / 2021

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. रमेश कुमार पुत्र श्री हनुमान जाति बिश्नोई साकिन 4 डी छोटी साधुवाली तह. व जिला श्रीगंगानगर
2. मनोज कुमार पुत्र श्री हनुमान जाति बिश्नोई साकिन 4 डी छोटी साधुवाली तह. व जिला श्रीगंगानगर

–– वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र लालचन्द जाति बिश्नोई निवासी 4 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर।

–– प्रतिवादी

उपस्थित–	अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई	(वादीगण)
	अधिवक्ता श्री पवन कुमार	(प्रतिवादी–1)
	पैरोकार राज	(प्रति.–2)

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– **29.09.2022**

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादीगण के दादा प्रतिवादी सं. 1 के पिता लालचन्द पुत्र श्री दौलाराम के नाम वाके चक 4 डी छोटी पटवार क्षेत्र साधुवाली के जमाबन्दी वर्ष 2042 के खाता सं. 47 / 46 के मुरब्बा नं. 55 के किला नं. 6 ता 25 प्रत्येक सालम में 20 बीघा कृषि भूमि थी। वादीगण के दादा लालचन्द वल्द दौलाराम का देहान्त होने पर व लालचन्द की पुत्रीयों द्वारा दस्तबरदारी कर देने से उक्त भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 के भाईयो को प्राप्त हो गई थी। प्रतिवादी सं. 1 के नाम की जमाबन्दी की नकल संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 के भाईयों मनफुल वगैरा अपने पिता से प्राप्त उक्त मुरब्बा नं. 55 मे संयुक्त काश्त करते थे और इस पैतृक सम्पति की आय व संयक्त काश्त से इस चक में प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 के भाईयों ने काफी भूमि खरीद की थी और प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 के भाईयो के आपसी भूमि विभाजन मे प्रतिवादी सं. 1 को खाता सं. 113 / 63 मुरब्बा नं. 4 के किला नं. 1 / 2 में 10 बिस्वा, किला नं. 3, 4 प्रत्येक सालम, किला नं. 5, 6 प्रत्येक में 0.228 है०, किला नं. 7 ता 14 प्रत्येक सालम व किला नं. 15 में 0.228 हैक्टयर कुल तादाद 3.340 हैक्टयर नहरी व मुरब्बा मे खाता सं. 112 / 31 के किला नं. 2, किला नं. 16 में 0.228 है0, किला नं. 17 ता 20 प्रत्येक सालम व मुरब्बा नं. 55 के किला नं. 17 / 2 में 0.236 है0, किला नं. 18 ता 20 प्रत्येक सालम कुल 2.488 हैक्टयर दोनो खातो में 5.828 हैक्टयर भूमि प्राप्त हुई थी जो वर्तमान मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज रिकार्ड है और प्रतिवादी सं. 1 के पास उक्त भूमि पैतृक व संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से खरीद की गई सम्पति है जो पैतृक सम्पति के रूप मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:36:01 IST
Reason: SelfAttested

संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज पैतृक भूमि मे संयुक्त काश्त करते है और वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का संयुक्त हिन्दु परिवार है। वादीगण का प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि मे जन्म से हक व हिस्सा है और प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि मे वादीगण बहिस्सा बराबर के हकदार व दावेदार है और वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि मे अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 1 के नाम भूमि वादग्रस्त का आपस मे विभाजन कर रखा है और इस भूमि विभाजन मे मुरब्बा नं. 45 के किला नं. 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 20 भूमि वादी सं. 2 मनोज कुमार को व मुरब्बा नं. 45 के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 18 की भूमि वादी सं. 1 रमेश कुमार को व मुरब्बा नं. 45 के किला नं. 1/2 व 10 व मुरब्बा नं. 55 के किला नं. 17/2 ता 20 की भूमि प्रतिवादी सं. 1 हनुमान को विभाजन मे प्राप्त हुई है और वाद के पक्षकारान विभाजन अनुसार भूमि पर काबिज है और माननीय न्यायालय से इसी अनुसार विभाजन करवाना चाहता है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को वादग्रस्त भूमि वाके चक 4 डी छोटी के मुरब्बा नं 45 व 55 की कृषि भूमि मे वादीगण का हक व हिस्सा स्वीकार करने व वादग्रस्त भूमि मे विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करवाने का कई बार कहा परन्तु प्रतिवादी सं. 1 आजकल आजकल करता रहा और कल दिनांक 06–10–2021 को प्रतिवादी सं. 1 ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया यही वाद कारण है। वादग्रस्त कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। वाद वादी कृषि भूमि मे अधिकारो की घोषणा व भूमि विभाजन हेतू है। वाद वादी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो इंकारी से अन्दर अवधि प्रस्तुत है। वाद वादीगण कृषि भूमि के विभाजन हेतू है इसलिए प्रतिवादी सं. 2 को वाद मे पक्षकार बनाया जा रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

क– घोषित किया जावे कि वाके 4 डी छोटी के खाता सं. 113/63 में 3.340 हैक्टयर व खाता सं. 112/31 में कुल 2.488 हैक्टयर भूमि कुल तादादी 5.828 हैक्टयर भूमि मे वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के साथ बहिस्सा बराबर के खातेदार है।

ख– वादग्रस्त भूमि मे वादीगण का हक व हिस्सा घोषित करने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य हुए भूमि विभाजन अनुसार विभाजन की डिक्री पारित की जावे।

ग– खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आपसी सहमति से दिनांक 13.06.2022 को राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का संयुक्त हिन्दु परिवार है। प्रतिवादी सं.1 वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के संयुक्त हिन्दु परिवार का कर्ता खानदान है। वादीगण के दादा प्रतिवादी सं. 1 के पिता लालचन्द पुत्र श्री दौलाराम के नाम वाके चक 4 डी छोटी पटवार क्षेत्र साधुवाली के जमाबन्दी वर्ष 2042 के खाता सं. 47/46 के मुरब्बा नं. 55 के किला नं. 6 ता 25 प्रत्येक सालम में [illegible] कृषि भूमि थी। प्रतिवादी सं. 1 के नाम खाता सं. 113/63 मुरब्बा नं. 45 के किला नं. 1/2 में 10 बिस्वा, किला नं. 3, 4 प्रत्येक सालम, किला नं. 5, 6 प्रत्येक में 0.228 है0, किला नं. 7 ता 14 प्रत्येक सालम व किला नं. 15 में 0.228 हैक्टयर कुल तादादी 3.340 हैक्टयर नहरी व इसी मुरब्बा मे खाता सं. 112/31 के किला नं. 2, किला नं. 16 में 0.228 है0. किला नं. 17 ता 20 प्रत्येक सालम व मुरब्बा नं. 55 के किला नं. 17/2 में 0.236 है0, किला नं. 18 ता 20 प्रत्येक सालम कुल 2.488 हैक्टयर दोनो खातो में 5.828 हैक्टयर भूमि प्राप्त हुई थी जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम पैतृक सम्पति के रूप मे दर्ज है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि में वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है और वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के साथ बहिस्सा बराबर के खातेदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:36:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष ने द्वितीय पक्ष के नाम दर्ज पैतृक सम्पति का आपस में भूमि विभाजन कर रखा है। इस भूमि विभाजन मे मुरब्बा नं. 45 के किला नं. 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 20 भूमि वादी सं. 2 मनोज कुमार को व मुरब्बा नं. 45 के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 18 की भूमि वादी सं. 1 रमेश कुमार को व मुरब्बा नं. 45 के किला नं. 1/2 व 10 व मुरब्बा नं. 55 के किला नं. 17/2 ता 20 की भूमि प्रतिवादी सं. 1 हनुमान को विभाजन मे प्राप्त हुई है और वाद के पक्षकारान विभाजन अनुसार भूमि पर काबिज है और माननीय न्यायालय से इसी अनुसार विभाजन करवाना चाहता है। लिहाजा राजीनामा पेश कर निवेदन है कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष ने यह राजीनामा अपने होश हवास बिना नशा पता बिना दबाव के तहरीर करवाया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम 4 डी छोटी, पटवार हल्का साधुवाली, भू.अ.नि. क्षेत्र चकमहाराजका खाता संख्या 113/63 जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम 4 डी छोटी, पटवार हल्का साधुवाली, भू.अ.नि. क्षेत्र चकमहाराजका खाता संख्या 112/31 पेश की गई। वादीगण द्वारा विरास्तन साक्ष्य जमाबंदी ग्राम 4 डी छोटी, पटवार हल्का साधुवाली, भू.अ.नि. क्षेत्र शिवपुर खाता संख्या 365/31, जमाबंदी ग्राम 4 डी छोटी, पटवार हल्का साधुवाली, भू.अ.नि. क्षेत्र शिवपुर खाता संख्या 366/71, जमाबंदी ग्राम 4 डी छोटी, पटवार हल्का साधुवाली, भू.अ.नि. क्षेत्र शिवपुर खाता संख्या 367/63, जमाबंदी ग्राम 4 डी छोटी, पटवार हल्का साधुवाली, भू.अ.नि. क्षेत्र शिवपुर खाता संख्या 367, जमाबंदी ग्राम 4 डी छोटी, पटवार हल्का साधुवाली, भू.अ.नि. क्षेत्र शिवपुर खाता संख्या 368/56, जमाबंदी ग्राम 4 डी छोटी, पटवार हल्का साधुवाली, भू.अ.नि. क्षेत्र शिवपुर खाता संख्या 72/47, जमाबंदी ग्राम 4 डी छोटी, पटवार हल्का साधुवाली, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीगंगानगर खाता संख्या 47/46 के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी का पैतृक होना सिद्ध होता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश–12 नियम–6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझोता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प–5(1)राज/6/97/10 दिनांक 8–9–97 के अनुसार सहकृषकों में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि में जन्म से ही अधिकार है। इसलिए पुत्र अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है। ए0आई0आर0 1976 एस सी –807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधि0 के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम या ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने परिवारिक समझौते को अधिक महत्वता दी गई है। पारिवारिक समझौता धोखा–धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझोता को मान्यता दी जा सकती है जिससे विवाद कम हो, पारिवारिक समझोता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो। मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–222 के अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र–पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दु परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति [illegible] मिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की [illegible] हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवं बंटवारा करवा सकता है। आर[illegible] 1981 के पेज 512 एवं 1978 आरआरडी पेज 375 (एच0सी0) में उपरोक्त की पुष्टि की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:36:01 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 Division of holding in a suit decreed on the basis of agreement *If during pendency of a suit for division of holding the

co-tenant in the suit के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी के राजीनामा को स्वीकार किया जाता है और राजीनामा के आधार पर वाद निम्नप्रकार से डिक्री किया जाता है :–

वादी सं. 2 मनोज कुमार को चक 4 डी छोटी के मुरब्बा नं. 45 के किला नं. 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 20 भूमि को एवम् वादी सं. 1 रमेश कुमार को चक 4 डी छोटी के मुरब्बा नं. 45 के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 18 की भूमि एवम् प्रतिवादी सं. 1 हनुमान को चक 4 डी छोटी के मुरब्बा नं. 45 के किला नं. 1/2 व 10 व मुरब्बा नं. 55 के किला नं. 17/2 ता 20 कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 29.09.2022 को जारी किया गया।

(मनोज कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 15:36:01 IST
Reason: SelfAttested